

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 834/वित्त/ब-4/2011

रायपुर, दिनांक 16.05.2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष  
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- शासकीय वाहनों की पात्रता एवं क्रय ।


संदर्भ:- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 1217/2009/वित्त/ब-4/चार, दिनांक 01.12.2009 (वित्त निर्देश 36/2009)

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के बिन्दु क्रमांक 5 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

- बिन्दु क्रमांक 05:-** वाहन उपयोग करने वाले प्राधिकारी के आधार पर नये वाहन क्रय हेतु निम्नानुसार संशोधित वित्तीय सीमा निर्धारित की जाती है :-
- (अ) माननीय मंत्रीगण/ सचिव अथवा सचिव से उच्च स्तर के अधिकारी तथा जिला न्यायाधीश, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के उपयोग हेतु ₹ 6.00 लाख की सीमा तक, तथा
- (ब) (अ) के अलावा अन्य अधिकारी, जिन्हें वाहन की पात्रता है, उनके उपयोग हेतु ₹ 5.00 लाख की सीमा तक ।

संदर्भित ज्ञापन में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत रहेंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(सी.जे. खत्री)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

**प्रतिलिपि:-**

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, रायपुर ।
22. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(प्रशांत लाल)

शोध अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग